UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 4255/36सी   दिनांक रानीखेत 07/11 ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/258/2015/एफ.सी./970 दिनांक 11.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.480 है0 अर्थात 6.500 है0 ग्राम सड़का सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है; अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड रानीखेत द्वारा प्रत्यावर्तित 3.24 है0 भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल 6.480 है0 ग्राम सड़का की भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1641591.00 लाख जमा कर दी गयी है तथा 6.48 है0 सड़का की भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 2737800.00 लाख जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान दरों से एन.पी.वी. मे बढोतरी हुई तो बढ़ी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धनं तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधिया तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि ₹ 4379391.00 लाख (CAMPA) के खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में (Strip Plantation) की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	State Govt. will provide the original hard copy of FRA certificate for deversion of 3.24 ha forest land.	वनाधिकारी प्रमाण पत्र (F.R.A.) इस कार्यालय के पत्रांक 1400/3सी दि. 24.07.2021 द्वारा तीन प्रतियों में प्रेषित किया गया है। पुन: प्रेषित किया जा रहा है।
7	State Govt. will submit CA site suitability certificate for Sadaka Civil & Soyam instead of Dhura Civil & Soyam. The document may also be uploaded in online Part-II and name of CA site may be corrected at para-1. of online Part-I.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र ग्राम सड़का की 6.48 है0 भूमि का प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विचाराधीन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या सिद्धान्त स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 4255/ 36[illegible] तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Scanned with OKEN Scanner

(20)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.com

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/258/2015/एफ0सी0 / 970 दिनांक 11 /09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोडा में रापड जीनापानी मझेडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1168/X-4-15/1(606)/2015 दिनांक 03.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10075/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारिया/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– अल्मोडा में रापड जीनापानी मझेडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.480 अर्थात 6.500 है0 ग्राम– सडका सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में **Online Portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide the original hard copy of FRA certificate for diversion of 3.24 ha forest land.
7. State Govt. will submit CA site suitability certificate for Sadaka Civil & Soyam instead of Dhura Civil & Soyam. The document may also be uploaded in online Part-II and name of CA site may be corrected at para-L of online Part-I.

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.480 अर्थात 6.500 है0 ग्राम– सडका सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 353 से अधिक न हो।
10. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहा सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
रानीखेत खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्र संख्या 83/36 सी दिनांक 13 जनवरी,2021 के अन्तर्गत रापड जीनापानी-पाडेश्वर मोटर मार्ग में निर्माण में प्रभावित होने वाली 3.240 हैक्टेयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल में ग्राम सडका, तहसील रानीखेत के की कुल- 6.480 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि को जो वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/258/ 2015/एफ.सी./970 दिनांक 11-09-2017 से पूर्व से ही प्रस्तावित की गयी [illegible] नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने जाने का [illegible] किया गया है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, गिविवारौण से आख्या प्राप्त की गयी। उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी गिविवारौण द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या 80(वि0)/2020-11--भूमि चयन--क्षतिपूरक वृक्षारोपण/दिनांक 11 जनवरी,2021 एवं पत्र दिनांक 449(प0)/2020-21/भूमि चयन--क्षतिपूरक वृक्षारोपण/दिनांक 23-06-2021 के अन्तर्गत रापड जीनापानी पाडेश्वर मोटर मार्ग में निर्माण में प्रभावित होने वाली 3.240 हैक्टेयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक--वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 6.480 हैक्टेयर भूमि जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/ 06/258/ 2015/एफ.सी./970 दिनांक 11-09-2017 द्वारा पूर्व से ही प्रस्तावित ग्राम सडका राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र शहरो, तहसील रानीखेत के श्रेणी 9(3)ड. गै0ज0वि0खतौनी खाता संख्या-2 के खेत संख्या- 2400 क्षेत्रफल 0.0770 हैक्टेयर, खेत संख्या--2567 क्षेत्रफल 0.180 हैक्टेयर, खेत संख्या-2568 क्षेत्रफल 0.600 हैक्टेयर, खेत संख्या--2591 क्षेत्रफल 1.063 हैक्टेयर, खेत संख्या-- 2602 क्षेत्रफल 0.673 हैक्टेयर, खेत संख्या-- 2603 क्षेत्रफल 2.250 हैक्टेयर, खेत संख्या 2604 क्षेत्रफल [illegible] एवं खेत संख्या--2605 मध्ये क्षेत्रफल 0.464 हैक्टेयर कुल--6.480 हैक्टेयर भूमि सिविल भूमि [illegible] उक्त प्रयोजन के लिए प्रस्तावित कर प्रस्तावित भूमि का मौका नक्शा [illegible] संयुक्त निरीक्षण आख्या, एवं प्रारूप-2, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति के आधार पर राजस्व अनुभाग [illegible] शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 2173/XVIII (II)/2012-18(120) 2010, दिनांक [illegible] 2012 के क्रम में क्षतिपूरक--वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम सडका राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील रानीखेत के श्रेणी 9(3)ड. गै0ज0वि0खतौनी खाता संख्या--2 के खेत संख्या-- 2400 क्षेत्रफल 0.0770 हैक्टेयर, खेत संख्या--2567 क्षेत्रफल 0.180 हैक्टेयर, खेत संख्या -2568 क्षेत्रफल 0.600 हैक्टेयर खेत संख्या 2591 क्षेत्रफल 1.063 हैक्टेयर, खेत संख्या-- 2602 क्षेत्रफल 0.673 हैक्टेयर, खेत संख्या-- 2603 क्षेत्रफल 2.250 हैक्टेयर, खेत संख्या 2604 क्षेत्रफल 0.480 हैक्टेयर एवं खेत संख्या--2605 मध्ये क्षेत्रफल 0.464 हैक्टेयर कुल--6.480 हैक्टेयर भूमि सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किया जाता है। तहसीलदार रानीखेत तदनुसार ही उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में भूमि का नामान्तरित करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम 1980 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होगी।

दिनांक 20/07/2021

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या- 6084 /ग्यारह-- 20 /2020-21, दिनांक 23 जुलाई,2021

प्रतिलिपि निम्नांकितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. उप जिलाधिकारी, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
5. तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
6. सहायक अभियन्ता (द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
7. प्रभारी अधिकारी, वन अनुभाग, जिला कार्यालय, अल्मोड़ा।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

P.T.O

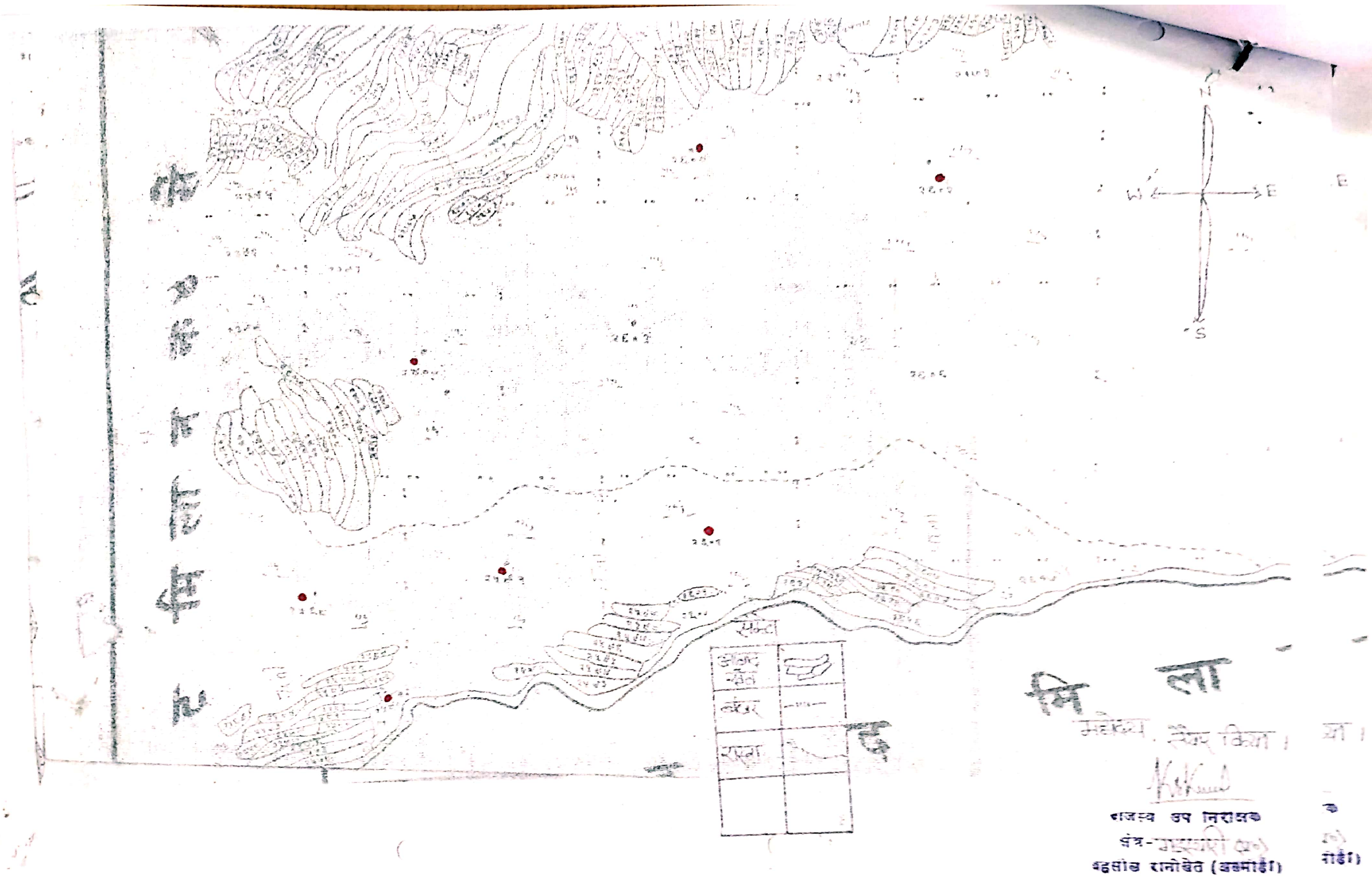
N
W
E
S
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मड़ोढ़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.24 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि शासन स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.24 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत

Ameen Pramar Patra/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

S.No	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/16102/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16102/2015) Construction of motor road to connect Dev singh Kwarbi's village Kamechina	ROAD161022015369	6116102369	02 Aug 2017	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 487822/- , Plantation of 10 times trees effected by the proje : 530000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1017822/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Dec 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Dec 2017 Transaction Date :01 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1211181241213LA4R4DemandNoteDevSingh.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD161022015369)
17	FP/UK/ROAD/18386/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18386/2016) Extension of Pali Naduli motor road to Manjoorkhan motor road	ROAD183862016342	6118386342	15 Sep 2017	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 221737/- , Plantation of 10 times trees effected by the proje : 570000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 791737/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Dec 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Dec 2017 Transaction Date :01 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12111812012131H9ZUDemandNotePaliNaduliJakholiMowadi.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD183862016342)
18	FP/UK/ROAD/10075/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10075/2015) Construction of Rapar Jeenapani Majera Motor Road	ROAD100752015268	6110075268	11 Sep 2017	CA: 1641591/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2737800/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4379391/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 22 Mar 2018 Transaction Date : 28 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112212141212O0QPZDemandRaparJeenapaniMajhera.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD100752015268)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप-23

परियोजना का नाम - जनपद अल्मोड़ा मे रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गंगोड़ा (रापड़)
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X हे0 आरक्षित वन भूमि X हे0 सिविल सोयम भूमि 2.160 हे0 वन पंचायत भूमि 1.080 हे0) अर्थात कुल 3.240 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गंगोड़ा (रापड़) द्वारा दिनांक 8/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गंगोड़ा (रापड़) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत गंगोड़ा
विकास खण्ड भिकियासैंण

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोड़ा
वि0ख0-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप –23.1

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रापड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
②	रेवती देवी	रेवती देवी
③	Hema Negi	Hema Negi
④	भागरथी देवी	भागरथी देवी
⑤	पानसिंह नेगी	[signature]
⑥	बालम कुमार	Balam Kr
7	लछमणसिंह	लछमणसिंह
8	देवराम	देवराम
9	प्रेमसिंह	

ग्राम प्रधान / [illegible] प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि०ख०–भिकियासैंण

रघुवीर सिंह
सरपंच,
वन पंचायत रापड
पो० औ० पार्सो (चौकुलियार)
जिला – अल्मोड़ा.

छायाप्रति प्रमाणित
[signature]
उप प्रभागीय अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा मे रापड़ - जीनापानी - मझेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~नौघरिया~~/घट्टी

तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (........ X हे0 आरक्षित वन भूमि X हे0 सिविल सोयम भूमि 2.160 हे0 वन पंचायत भूमि 1.080 हे0) अर्थात कुल 3.24 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग /संस्था के पक्ष मे भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत नौघरिया द्वारा दिनांक 9-1-05 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही है तथा वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौघरिया/घट्टी

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौघरिया/घट्टी ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
भिकियासैण

प्रभारी अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत नौघरिया
वि0ख0--भिकियासैन (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत नौघरिया
भिकियासैन (अल्मोड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

<u>प्रारूप –23.1</u>

दिनांक 6–1–2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नौघरिया / धारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वयस्क का ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बागेश्वर सिंह	[illegible]
2.	दीवान सिंह	दीवान सिंह
3-	कृपाल सिंह	[illegible]
4-	प्रेम सिंह	[illegible]
5-	जोगा राम	जोगाराम
7-	इन्द्र राम	इन्द्रराम

[illegible]
ग्राम प्रधान / सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत नौघरिया
वि0ख0–भिकियासैन (अल्मोड़ा)

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत नौघरिया
भिकियासैन (अल्मोड़ा)

छायाप्रति प्रमाणित
[illegible]
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – अल्मोड़ा-अल्मोड़ा से .... मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ..... (पुसैली) ....
तहसील ... भिकियासैण ... जिला ... अल्मोड़ा ...
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ...... अल्मोड़ा ...... के अन्तर्गत .... [illegible] .... परियोजना के निर्माण हेतु (......... – ......हे0 आरक्षित वन भूमि – ......हे0 सिविल सोयम भूमि 2.160 हे0 वन पंचायत भूमि 1.080 हे0) अर्थात कुल 3.240 हे0 वन भूमि का [illegible] .... विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... (पुसैली) .... द्वारा दिनांक 08-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... (पुसैली) .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ...... [illegible] हे0 ...... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड भिकियासैण

प्रधान
ग्राम पंचायत पुसैली
वि0ख0– भिकियासैण

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सरपंच
ग्राम पंचायत पुसैली
भिकियासैण (अल्मोड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— [illegible]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....
तहसील.........., जिला..........

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ....के अन्तर्गत ....परियोजना के निर्माण हेतु (..........है0 आरक्षित वन भूमि,..........है0 सिविल सोयम भूमि..........है0 वन पंचायत भूमि ....है0) अर्थात कुल ....है0 वन भूमि का ....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... द्वारा दिनांक..........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

प्रमाणित प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

ह0/—
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ....
वि0ख0—..........

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक [illegible] को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]

ह0/–
ग्राम–प्रधान [illegible]

[illegible] प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – थपड़ जौना पानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम करगीना / भौनली
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु X है0 आरक्षित वन भूमि X है0 सिविल सोयम भूमि 2.160 ह0 वन पंचायत भूमि 1.080 ह0) अर्थात कुल 3.24 ह0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करगीना / भौनली द्वारा दिनांक [illegible] को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करगीना / भौनली ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड भिकियासैंण
ग्राम पंचायत क्षेत्र [illegible]

(हस्ताक्षर) दीक्षा देवी
सरपंच
वन पंचायत भौनली
तहसील–भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव
मुहर सहित
(हस्ताक्षर) आशा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत भौनली
वि0ख0–भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप —23.1

दिनांक 08-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कराली / पनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश चन्द्र	हरीश चन्द्र
2	किशोर चन्द्र	(किशोर च)
3	दयाल राम	दयाल राम
4	देव राम	देवराम
5	जीवन चन्द्र	जीवन चन्द्र
6	विरेन्द्र गिरी	विरेन्द्र गिरी

आशा देवी
[illegible stamp]

ग्राम प्रधान / सरपंच
नीमा देवी
[illegible stamp]

छायाप्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप—23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में रापड़ - जीनापानी - मझीड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सोली (कारीगाँव) मझेड़े
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (X हे0 आरक्षित वन भूमि X हे0 सिविल सोयम भूमि 2.160 हे0 वन पंचायत भूमि 1.080 हे0) अर्थात कुल 3.240 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सोली (कारीगाँव) द्वारा दिनांक 8-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सोली (कारीगाँव) ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सोली
विकास खण्ड भिकियासैंण

सरपंच
वन पंचायत सोली
ग्रा0 सिनोड़ा जि0 अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत सोली
मुहर सहित

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

<u>प्रारूप –23.1</u>

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...सौली / नैनीडंडा...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की जनकारियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री - गोविन्द S/o श्री रामलाल	- [illegible]
2-	" लोकेश कुमार S/o स्व. श्री नरेशचन्द	- [illegible]
3-	" महेशचन्द S/o श्यामलाल	[illegible]
4-	" चन्द्रमणी S/o श्यामलाल	चन्द्रमणी
5-	" केवलानन्द S/o नन्दावल्लभ	[illegible]
6-	" मोहनलाल S/o नरराम	मोहन लाल

प्रधान
ग्राम पंचायत सौली
वि0ख0- सिकियासैन (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत सौली
वि0 सिनौड़ा जि0 अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......25.02.15..............................at time...3:00 PM...............at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring 3.240... hect. for the Construction of ...Raipan....Zeenafani...Majhera.....M.J.R...... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

25.02.15

जिलाधिकारी, Signature

अल्मोड़ा।

(Full name of the official seal of the District Collector)

अधिशासी अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	[illegible] applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	[illegible] applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	[illegible] applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

25.02.15
जिला अधिकारी,
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Rudraprayag

No :..

Dated:..25..02..20..

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...3.240.......hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....of....Rapan....Zeenapani....Majhera..M.R...

(Purpose for diversion of forest land) in..Almora....district falls within jurisdiction of............village(s) in..Bhikyasain.Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..3.240..Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups, and pre-agricultural communities.

Encl:As above

25.02.25

Signature

जिलाधिकारी,

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

रानीखेत

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– राज्य जैनापानी–गढ़ोट्र) मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद......अल्मोड़ा...... के अन्तर्गत प्रस्तावित राज्य जैनापानी)........ मो०मा० परियोजना के निर्माण हेतु ...3.240......हे0 वन भूमि लो०नि०वि० (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

25/02/15
~~उपजिला~~ अधिकारी.
जिलाधिकारी.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रमाणित
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संयुक्त निरीक्षण

परियोजना का नाम – राप्ड जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग।

आज दिनांक 18.10.2016 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सड़का, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र उस्यारी, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से **श्री कुन्दनपुरी गोस्वामी**, राजस्व उपनिरीक्षक तथा वन विभाग की ओर से श्री **आनन्द सिंह परिहार**, वनरक्षक, श्री (handwritten), वन क्षेत्राधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री **नन्दन सिंह बिष्ट, अमीन/कु0 मीनू देवी, कनिष्ठ अभियन्ता**, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त ग्राम सड़का की 6.480 है0 भूमि राप्ड जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग हेतु उपलब्ध करायी गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी।

अमीन, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत	कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत	राजस्व उप निरीक्षक उस्यारी	तहसीलदार रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. रानीखेत	वन क्षेत्राधिकारी शितलाखेत(अल्मोड़ा)		उपजिलाधिकारी रानीखेत

2.10

(3)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में रापड़–जीनापानी–मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 16.200 किमी.(3.240है0)।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में रापड़–जीनापानी–मझेड़ा मोटर मार्ग मार्ग का नव निर्माण 16.200 किमी. (6.480 है0) या 7.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राप्रा.सड़का सिविल भूमि उपयुक्त है।

ह./–
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पटवारी
रापड़

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग

तहसीलदार भिकियासैंण
जिला अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
वन प्रभाग अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

नकल खतौनी

गैर० ज० वि० खतौनी ग्राम सड़का रा० उ०नि० क्षेत गड़स्यारी तहसील रानीखेत

विषय :- रापड़ जीनापानी मोटर मार्ग में ग्राम सड़का रा० उ०नि० क्षेत गड़स्यारी तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा की 6.480 हे० भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

खाता सं०	नाम खातेदार	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)
02	वन पंचायत	2079	0.243
		2082	0.473
		2083	0.415
		2158	0.208
		2171	0.368
		2172	0.208
		2173	0.358
		2200	0.265
		2208	0.230
		2209	0.153
		2210	0.128
		2271	0.125
		2373	0.440
	शासनादेश संख्या 2173/XVIII (II) 2012-18(120)	2400	0.770
	2010 दिसम्बर 2012 तथा जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा	2567	0.180
	के आदेश संख्या 6084/ग्यारह-20/2020-21 दिनांक	2568	0.600
	23 जुलाई 2021 के क्रम में खेत संख्या 2400 क्षे०	2590	0.063
	0.770 हे०, खेत संख्या 2567 क्षे० 0.180, खेत संख्या	2591	1.063
	2568 क्षे० 0.600 हे०, खेत संख्या 2591 क्षे० 1.063 हे०	2600	0.053
	खेत संख्या 2602 क्षे० 0.673, खेत संख्या 2603 क्षे०	2602	0.673
	2.250 हे०, खेत संख्या 2604 क्षे० 0.480 हे०, खेत संख्या	2603	2.250
	2605 मध्ये क्षे० 0.464 कु० 6.480 हे० भूमि सिविल	2604	0.480
	भूमि को वन विभाग प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के	2605	1.500
	प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किया गया।	2606	2.250
		2616	0.191
		2617	0.090
		2618	7.048
		2619	1.560
	योग	28	22.391

महोदय,

असल से नकल खतौनी तैयार की।

Kishan Kumar

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र- गड़स्यारी (प्र०)

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :– सड़क – जीनापानी – मजखेड़ा मोटर मार्ग

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चिलियानौला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चिलियानौला

मोटर मार्ग उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत सड़क – जीनापानी मजखेड़ा ———— (————हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ———— हे0 वन भूमि) का ————————प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिलियानौला) की दिनांक 4-2-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन0 एस0 नबियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एन0 एस0 नबियाल —उपजिलाधिकारी —— चिलियानौला ——अध्यक्ष
2– श्री बी0 के0 ओ0 सिंह —उप प्रभागीय वनाधिकारी—— रानीखेत —— सदस्य
3– श्री ————————सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य / सचिव
4– श्री दिवान सिंह मेहरा —बी0डी0सी0 क्षेत्र —— चिनोड़ा —— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सड़क – जीनापानी – मजखेड़ा मोटर मार्ग ————————————परियोजना हेतु 2.240 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 ———————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
...तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....परियोजना के निर्माण हेतु 3.240 है0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–...........रानीखेत...........
जनपद ....अल्मोड़ा...........

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...अल्मोड़ा........... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–...........रानीखेत...........
जनपद...........अल्मोड़ा...........

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत